भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 294
12.07.2019 को उत्तर के लिए

मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजनाएं

***294. गोपाल चिनैया शेट्टी:**

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार को कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) II में मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजनाओं (एसआरए) से संबंधित दिनांक 6.1.2011 को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा घोषित तथा अधिसूचित योजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मांगते हुए महाराष्ट्र की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है और यदि विलंब, यदि कोई हो तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

****

'मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजनाएं' के संबंध में 12.07.2019 को उत्तर के लिए श्री गोपाल चिनैया शेट्टी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *294 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग) : जी, नहीं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दिनांक 06.01.2011 को जारी तटीय विनियम क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 के निर्देशानुसार राज्य सरकार से या सहयोगी एजेंसियों जैसे महाराष्ट्र आवासन और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए), शिवाशाही पुनर्वास प्रकल्प लिमिटेड (एसपीपीएल), मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) और ऐसी अन्य एजेंसियों के माध्यम से किसी भी मलिन बस्ती पुनर्वास स्कीम परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

****